



मध्याह्न भोजन योजना
Mid-day Meal Scheme



मध्याह्न भोजन के लिए आवश्यक सावधानियाँ



बिहार सरकार

मण्डारण व सफाई की व्यवस्था -

- खाद्यान्न का मण्डारण सुरक्षित स्थान पर ही करें।
- मण्डारण हेतु स्टोरेज बीन का उपयोग करें।
- दाल, नमक, मसाले आदि का मण्डारण हवाबन्द डब्बों में करें। डब्बों पर अंदर रखे समाग्री का नाम स्पष्ट अंकित करवाये। हानिकारक व जहरीले पदार्थ से दूर रखें।
- खुला तेल अथवा जले हुये खाद्य तेल का मण्डारण न करें।
- जहाँ भोजन बन रहा है वहाँ भोजन बनाने के पहले व बाद में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए।

भोजन पकाने के समय -

- विद्यालय प्रधान एवं रसोईया द्वारा मध्याह्न भोजन बनाने के स्थान पर भोजन पकाने के समय सतर्कता बरती जाये।
 - चापाकल का पानी इस्तेमाल करने से पहले दो-तीन बाल्टी पानी चापाकल से चलाकर फेंक दें।
 - भोजन बनाने से पूर्व भोजन पकाने वाले बर्तन को व हाथों को अनिवार्यतः रूप से राख या साबुन से धोकर सुखा लें।
 - भोजन बनाने से पूर्व सभी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का मौखिक सत्यापन कर लें।
 - एगार्क युक्त मसाले, आयोडीन युक्त नमक व खाद्य तेल के रूप में रिफाईन तेल/शुद्ध सरसों तेल का उपयोग किया जाए।
 - स्थानीय स्तर उपलब्ध ताजी सब्जी को धोकर उपयोग किया जाय।
 - सब्जी काटने से पूर्व सब्जी अनिवार्य रूप से धो ले।
 - यह आवश्यक है कि भोजन पूर्णरूप से ढककर पकाया जाये।
 - भोजन को अत्यधिक देर न पकाये जिससे भोजन की पोष्टिकता का ह्रास हो जाये।
 - रसोईया-सह-सहायक द्वारा मध्याह्न भोजन तैयार करने के बाद स्वयं/प्रभारी प्रधानाध्यापक/शिक्षा समिति के अध्यक्ष या सचिव या सदस्य द्वारा चखने के उपरांत ही बच्चों को खिलाया जाय। **खाना चखने हेतु सदस्य, अभिभावक को भी रोस्टर बनाकर आमंत्रित करें।**
 - रसोईया खाना बनाने के समय एप्रॉन अनिवार्य रूप से पहनें।
 - रसोईया सूती कपड़े पहन कर ही भोजन पकायें।
- भोजन बनाने के पश्चात सभी तैयार खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रूप से रखना सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार के संक्रमण की संभावना ना रहे।

मध्याह्न भोजन योजना में परिवर्तनमूल एवं रसोईया मानदेय की व्यवस्था -

केन्द्र सरकार से मध्याह्न भोजन हेतु परिवर्तन मद में वर्ग 1 से 5 तक के विद्यार्थी हेतु 3.37 रू० एवं खाद्यान्न 100 ग्राम प्रति विद्यार्थी तथा वर्ग 6 से 8 तक के विद्यार्थी हेतु परिवर्तन मद 5.00 रू० एवं खाद्यान्न 150 ग्राम प्रति विद्यार्थी का प्रावधान है।

केन्द्र सरकार से कार्यरत प्रति रसोईया को 1000/-रू० के दर से वर्ष में 10 माह (कुल 1000*10 = 10,000/-रू०) का भुगतान करने का प्रावधान है।

मध्याह्न भोजन का मेनु इस प्रकार है :-

- सोमवार - चावल+मिश्रित दाल+हरी सब्जी
- मंगलवार - जौरा चावल+आलू सोयाबिन की सब्जी
- बुधवार - खीचड़ी+हरी सब्जी युक्त चोखा
- गुरुवार - बावल + मिश्रित दाल +हरी सब्जी
- शुक्रवार - पुलाव+ छोला + सलाद
- शनिवार - खीचड़ी हरी सब्जी युक्त चोखा

नियमित रूप से बच्चों का भोजन कराने के पूर्व व उपरांत अनिवार्यतः साबुन / राख से हाथ धुलवायें।

बच्चों को पंक्ति में बैठाकर खाना परोसें।
खाना परोसने में जल्दबाजी न करें।

गर्म खाना पिरने से बचने पर अदिलम्ब पानी से धोकर उपभोग हेतु स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल ले जायें।

भोजन में शिकायत मिलने पर -

भोजन की गुणवत्ता में संदिग्धता होने पर गहरा गड्ढा खोद कर पका खाना गाड़ दें।

यदि भोजन के दौरान / उपरांत छात्र के द्वारा पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बेहोशी, कमजोरी, शरीर में रूँठन, थकान आदि किसी प्रकार की शिकायत करने पर अवश्य सुनें व अदिलम्ब स्थानीय थाना व स्वास्थ्य केन्द्र, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला पदाधिकारी को सूचना दें व 102 / 108 पर दायत कर एम्बुलेंस बुला लें।

प्रभावित व्यक्ति को नमक का घोल पिलाकर उल्टी करा दें। मुंह में लंगली डालने से उल्टी होने में मदद मिलती है।

महत्वपूर्ण दूरभाष नं०:- मधेपुरा

- (1) जिला पदाधिकारी - 9473191353
- (2) पुलिस अधीक्षक - 9431822997
- (3) चिकित्सा पदाधिकारी - 9470003419
- (4) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा
(MDM) MOB:-9430827026, PH:- 06476-222299
- (5) मध्याह्न भोजन योजना पटना - 0612-2231007
- (6) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी - 9431818609
ग्वालपाड़ा
- (7) प्रखण्ड साधन सेवी - 9431448937
ग्वालपाड़ा
- (8) थानाध्यक्ष - 06479-287028